

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

तामन एव अद्वितीय शूलसंहिता नामाची
प्रियतमापात्रा ही नाम ही ही शिक्षा जारी न
हो किन्तु उन्हाँ अधिकारी ही नाम है।



मोबाइल
फ़ोन
+91 9876543210

www.05/02/13

॥ युधना ॥

लिंगार्जी विश्वविद्यालय, गवालियर से संबद्ध के एम. बी.एस. मास्टर्सियालय, गवालियर (0751-2401011) ने तब 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित श्री.एस.-श्री. (निर्मित), पाठ्यक्रम कक्षा.पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी संस्करण देते अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कूलपति महानंद या. त्रिपाया रामिति, जीवानी विश्वविद्यालय, गवालियर के विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिचयम 27(10) के अनुसार जिक्रवासार विवीकण समिति या गट्टा दिव्य है :-

- (1) प्रो. ए.के. हन्ते, आवाध, रायावन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., गवालियर।
 (0751-2442769)
 (संलग्नक)

(2) डॉ. शी.एल. गोस्यामी, अधिकारी महाविद्यालयीक विकास पारिषद्, जी.वि.वि. गवालियर।

(3) डॉ. व्योरी कोहिंको, आवाध, जी.आर.एच.जी., व्यापिका।

निरूपण त्रिभित के घटकों से उत्पन्न है कि उन परिवर्तन 27/28 के प्राप्तालों के अनुभाग महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विशेषण कर शुरू, प्रोफेट राशि, जिसका दीक्षणिक अवधितात्त्विक स्टॉक, प्राप्तिकृष्ण सद्या से प्राप्त अनुभिति अनापाति प्रमाण प्रम, ब्रह्म, श्रीकृष्ण परिवर्त एवं वाहनवाहन अवधितात्त्विक तथा प्रियते राज जै दी गई शर्तों की पूर्ति सब प्रमाण पत्र के तथा प्राप्तालों दीक्षणिक एवं अवधितात्त्विक स्टॉक की निरुत्तितयों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे ने व्यष्टि विभिन्न अनुसंधारणाएँ भरिते हैं।

स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2019 के पट क्रमांक 60 (ज-ज-2) पर लिये गये विषयानुसार निम्नलिखित समिति द्वारा 30 दिन में गठनितालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विशेषज्ञालय कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाते। यिनसे हि स्वरूप वर्गविभागी (लग्नाविभाग विरीक्षण द्वारा) 45 दिवस में पूर्ण हो अक्षेपी एवं मताविभालय को विशेषज्ञालय द्वारा ती जाने वाली अन्यान्य अन्धकृतां गें विलम्ब नहीं होगा एवं यथा उम्मद लग्बखता संकेती वर्गविभागी पूर्ण हो सकेवी तथा शासक को विदेशी का पालन अधिकृत विषया या अन्धकृत।

जर्जर के 45 विशेष में Report प्राप्त क होते रही दियति में वह लाका आदेश कि महाविद्यालय का नियमित नहीं हुआ है। विद्यालयसार अवधिक लाका वार्ताकर बालीन संस्थित गठित की जाएगी। विशेष 15 विशेष में नियमित रिपोर्ट प्रत्युत करना अविवार्य होगा। परिविषक 27(1)(7) के अनुसार अवश्यकता प्राप्त किए बिना प्रक्रम को प्रवेश देना अवैधिक है।

बिरीधाण समिति के द्वारा यानवल्लुता शाको में कार्बोन अधीक्षक / कालालय लठायक पञ्चावी लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुलिपिता से बिरीधाण समिति को अवगत कराएंगे। बिरीधाण समिति के सदस्यों को ही ए / ही ए / ग्रामदेव यानविद्यालय द्वारा देव होगा।


कृत्याविक

परिलिपि

1. दासत नवरों की ओर सुधार्य एवं आवश्यक तर्फ़ावी हेतु।
 2. प्रावार्ण/अवस्था, अन्यथित महाविद्यालय की ओर शैक्षक आपात है कि लगिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण विजांक निपारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
 3. आधुनिक शिक्षा, सापुड़ा जलव, औपाल
 4. सुलगिति के लिए - कलाविज्ञ के निवृत्ति लहावक, जीवाजी विश्वविद्यालय, जाहिनगर


संसाधक एवं संवित् (अक्षयकला)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाज पद अक्षरत कुलपति निम्नलिखित दस्तावेज से जास्त हो दी गिरत जाए ज
कि फैसला उत्तम विधिविकारी की जाता है।
उन्नीसवां विश्व दर नंदी घोष में यह
ज्ञान दृष्टि से तो यह ज्ञान यह विश्व
विषय विद्या जाने वित्तीय दृष्टि से।



दाता : नृपेन्द्रिय
दृष्टि : (0751) 2341896
दृष्टि : 0751 2442229
दृष्टि : 0751 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

नियोजन विभागीयालय

ग्वालियर

कागजातक/संबन्धित/2012/5926

दिनांक... ८५/०३/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कृपाप्रीति, शुभीतुम्हा का नामा, ग्वालियर (0751-2401011) को जन्म 2012-13 के लिये प्रस्तावित इम्प्रेस-टी. (नियोज), प्राविक्रम कला-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी तम्भदता देतु अनुशासनी प्रवान करने के लिये ग्रामीण कुलपति गठोद्धु/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रतिनियम 27(10) के अनुसार जिम्मेदार नियोजन समिति का जल्द फैला है :-

(1) प्र. की.ए. गोविंदार, अधिकारी ग्रामीणविद्यालय विकास परिषद, नी.पि.पि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)

(2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, वी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नियोज, ग्वालियर।

(3) डॉ. गणेश दुबे, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.डि., ग्वालियर।

नियोजन समिति के नाम्बरों से अनुसार है कि वे प्रतिनियम 27(28) के ग्रामीणों के अनुरूप मानविद्यालय का प्रत्यक्ष नियोजन कर शुरू, शर्तों दरानि, वाचिक शैक्षणिक-अशैक्षणिक स्टॉफ, प्रारंभिक तंत्रज्ञ हो प्राप्त अनुबंध-अनापति प्रगाढ़-पत्र, भद्रत, छाड़ा प्रतिसर एवं पाठ्यक्रम-आठोन्हेस तथा प्रिष्ठे तात्र ने दी जई शर्तों की पूर्ति में प्राप्त पत्र के तात्र ग्रामीण-शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक लोगों की वियुक्तियों का प्रगाढ़ एवं बेतन आदि के बारे में स्पष्ट फैलाने अनुशासनाएँ अंकित की।

रवानी समिति की बैठक दिनांक 26 वितानवर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये जाये विषयात्मक समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का विनियोजन कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में नियोजन प्रतिनियम प्रस्तुत किया जाए। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (विश्वविद्यालय नियोजन की) 45 दिवस में पूर्ण हो जाकी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अव्याप्ति उपलब्धता ने वितानव जहाँ गोगा एवं जला सराय सम्बन्धित संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विनियोजन का पालन शुरुवातिक दिन जाएगा।

मात्र के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की दिवानी में यह माना जाएगा कि मानविद्यालय का विनियोजन नहीं कुछ है। नियमानुसार अर्थात् जमा करकर बचान समिति गठित की जाएगी। जिसे 15 दिवस में नियोजन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त किए विज्ञा छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य है।

नियोजन समिति के साथ सम्बन्धित शासा में कार्यवाही ग्रामीण / कार्यालय शासनक प्रश्नावली लेकिन जारी होने तात्र महाविद्यालय की वस्तुतियों से विनियोजन समिति को अवगत करावेगे। विनियोजन समिति के सदस्यों को डी.ए. / मानवेश मानविद्यालय द्वारा देव जाएगा।

कुलसचिव

प्रतीक्षित :-

1. समाज सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राणार्थ-अव्याप्ति, संविधित मानविद्यालय की ओर शेजकर आपात है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियोजन दिवाने के नियोजन करना विधिविकारी करावें। उक्त नियोजन 15 दिवस के अन्वेष करने की व्यवस्था करें।
3. आपुक्त उच्च शिक्षा, लालूपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियोजन सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धित)